



# नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

## NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)



जय हिन्द

क्र. : ननिप्रा/भवन/एम. एण्ड आर /2019-20/330-334

दिनांक: 19/03/2020

20

### कोटेशन आमंत्रण सूचना

कार्यपालक अभियंता (भवन) द्वारा, अध्यक्ष नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर की ओर से "नर्मदा कालोनी, योजना क्रमांक 78 के विभिन्न भवनो वॉटर प्रूफिंग के कार्य हेतु सामग्री कय करने हेतु" जिसकी अनुमानित राशि रु. 77300/- संलग्न अनुसूची "अ" के अनुसार प्रतिष्ठित ठेकेदारो से मोहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

### शर्तें एवं दिशा निर्देश :

1. कोटेशन दिनांक 27/03/2020 को 14:00 बजे तक इस कार्यालय को पहुँचनी आवश्यक है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन 16:00 बजे कार्यपालक अभियंता (भवन) के कार्यालय में कोटेशनकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होने का इरादा रखते हों) के सामने खोली जाना निर्धारित है।
2. कोटेशन में उल्लेखित दरों में सभी कर एवं शुल्क आदि पूर्ण रूप से शामिल करके प्रस्तुत की जावे और अलग से किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। दरों की वैधता कोटेशन प्रदाय करने की दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी, जिसे आपसी सहमती के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. यद्यपि अनुसूची 'अ' में सामग्री की मात्रा उसकी माँग का अनुमान लगाने हेतु दर्शायी गई है तथापि सामग्री की वास्तविक आवश्यकता के हिसाब से समय-समय पर आपूर्ति आदेश जारी किया जाएगा।
4. कोटेशन की वैधता कोटेशन खोले जाने की तारीख से 60 दिन तक रहेगी। जिसे लिखित में आपसी सहमति कर बढ़ाया जा सकता है। कार्य को निष्पादित करने के लिए एजेन्सी का निर्णय उसके द्वारा भरी गई अनुसूची (ए) की कुल लागत के अनुसार किया जाएगा न कि प्रत्येक मद कीमत के अनुसार किया जाएगा।
5. यदि कोटेशनकर्ता आपूर्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो कुल आपूर्ति आदेश का एक प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम दस प्रतिशत दण्ड स्वरूप भुगतान बिल से कटोत्री की जावेगी।
6. यदि आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी हिस्सा त्रुटिपूर्ण/क्षतिग्रस्त/निम्नस्तर अथवा नकली पाया जाता है तो उसे 7 दिवसों के अन्दर बदल कर देना होगा अन्यथा बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार जमा राशि से दण्ड स्वरूप कटोत्री की जावेगी।

-1-

क्षेत्रीय कार्यालय : नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'  
स्कीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452010  
दूरभाष : मुख्य अभियंता-0731-2554477  
निदेशक (सिविल)-0731-2575751  
उप निदेशक (जल मौसम)-0731-4288781  
ई.पी.बी.एक्स.-2575748 फेक्स (0731)2553469



जल बचत - जल संयोज  
स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर खुशहाल कल  
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'  
Sch. No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010  
Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477  
DIRECTOR (CIVIL) - 0731-2575751  
DEPUTY DIRECTOR (HYDROMET)-0731-4288781  
EPBX - 2575748, Fax - (0731) 2553469  
E-mail - cero.nca@gov.in



7. कोटेशनकर्ता सामग्री का रेट कोट करने हेतु सामग्री का सेम्पल कार्य दिवस एवं कार्यालयीन समय में भवन खण्ड कार्यालय में देख सकते हैं।
8. सामग्री प्रदाय करने का स्थान कार्यपालक अभियंता (भवन), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, स्कीम नं. 74-सी विजय नगर, इन्दौर होगा तथा आपूर्तिकर्ता को परिवहन शुल्क वहन करना होगा।
9. आयकर एवं अन्य कर जो लागू होते हैं, उन्हें स्रोत पर ही काट लिया जावेगा।
10. किए गए कार्य का भुगतान, अभियन्ता प्रभारी द्वारा कार्यों के संतोषजनक पाए जाने के पश्चात् बिल लगावे जाने पर एकाउन्ट पेय बैंक द्वारा दिया जावेगा।
11. प्रस्तुत किये गये कोटेशन के लिफाफे में बाहर कार्य का नाम, "नर्मदा कालोनी, योजना क्रमांक 78 के विभिन्न भवनो वॉटर प्रूफिंग के कार्य हेतु सामग्री क्रय करने हेतु" कोटेशन तथा कोटेशन खोले जाने की तारीख का उल्लेख किया जावे।
12. विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा इससे कोटेशनकर्ता को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
13. कोटेशन से सम्बन्धित प्रलेखों को हिन्दी अथवा अँग्रेजी भाषा में लिखा जावेगा दोनों भाषाओं में विसंगति की स्थिति में अँग्रेजी भाषा का रूप (version) मान्य होगा।

(डी. इलेनचेझियन)  
कार्यपालक अभियंता (भवन)

प्रति,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. सदस्य सिविल के प्रधान निजी सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
2. वित्त अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
3. सहायक जन संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर, को Soft & Hard कॉपी के साथ ननिप्रा के वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. सहायक निदेशक (भवन), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
5. कार्यालय सूचना पट्ट।

## Schedule -A

Name of Work: Supply of Water proofing Material

| S. No. | Description of Item                                                                                                                                               | Unit | Qtr. | Amount       | Remark |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------|
| 1.     | Providing Dr. Fixit Prime Seal Whose coverage area is 1.86 Sq. meter per liters (One layer of Seal Paint) on Existing cement concrete surface. (20 Liters Bucket) | Nos. | 4.00 |              |        |
| 2.     | Waterproofing Paint of standard company (Dr. Fixit) make 3 Layers of paint to prevent ceiling from seepage including labour charges complete. (20 Liters Bucket)  | No.  | 9.00 |              |        |
| 3.     | Providing Dr. Fixit New Coat Ezee Whose coverage area is 2.13 Sq. meter per liters (One layer of Seal Paint) On Roof Seal. (20 Liters Bucket)                     | No.  | 3.00 |              |        |
|        |                                                                                                                                                                   |      |      | <b>Total</b> |        |